हमें मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 की आवष्यकता नहीं है

तृप्ति टंडन, लायर्स कलेक्टिव

अखिला सिवदास, कुसुम, आल इंडियानेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स और मोनालिसा मिश्रा से प्राप्त जानकारी सहित

28 फरवरी 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 (जिसे आगे *''तस्करी विधेयक''* कहा जाएगा) को मंजूरी प्रदान कर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ('एमडब्ल्यूसीडी') द्वारा मई, 2016 को लाए गए इस तस्करी विधेयक को अनेक मसौदा प्रारूपों के उपरांत अंतिम रूप दिया गया है, जिनमें से कुछ को सार्वजनिक किया गया है, और कुछ को जनता के सामने नही रखा गया। वर्तमान समालोचना उस मसौदे पर आधारित है, जिसे मंत्रिमंडल की मंजूरी से ठीक पहले चुनिंदा मीडिया को जारी किया गया था।

यह न तो स्पश्ट है, न ही व्यापक है

एक दषक से अधिक समय से, तस्करी निरोधक कानून के विशय में यह कहा जाता रहा है कि व्यक्तियों की तस्करी के सभी पक्षों के समाधान के लिए एक व्यापक कानून की आवष्यकता है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तस्करी से संबंधित एक याचिका, *प्रज्वला बनाम भारत* डब्ल्यू पी (सी) 2004 का सं. 56, वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 9.12.2015 के अपने आदेष में महिला एवं बाल विकास मंत्री के इस कथन को दर्ज किया कि उसने मौजूदा कानूनों का अध्ययन करने, कमियों का पता लगाने और तस्करी के सभी पहलुओं को षामिल करते हुए एक व्यापक कानूनी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है।

सरकार से ये अपेक्षा की गई थी।

वर्तमान में मानव तस्करी से जुड़ी गतिविधियों के बारे में कई कानून हैं, जिनमें षामिल हैंः–

- भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आईपीसी') की ***धारा 370–370ए,*** जो मानव तस्करी को परिभाशित और दंडित करती है।
- भारतीय दंड संहिता की ***धारा 371,*** जो गुलामी को अपराध ठहराती है।
- भारतीय दंड संहिता की ***धारा 372–373,*** जो वेश्यावृति के लिए छोटी–नाबालिग लड़कियों की खरीद एवं बिक्री को अपराध बनाती है।
- ***अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 ('आईटीपीए'),*** जो वेश्यावृति से जुड़ी गतिविधियों को अपराध बनाती है और यौनकर्मियों को बचाव, पुनर्वास और सुधार प्रदान करता है, अलबत्ता यह नैतिक दृश्टि से हो।
- ***किषोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015*** ('जेजे ऐक्ट'), जो उन बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है, जो लापता हैं, या जिनकी तस्कारी होने का खतरा है।

- ***बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ('बंधुआ मजदूर अधिनियम'), संविदा मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, अंतर राज्य प्रवासी कामगार (विनियमन और सेवा षर्तें) अधिनियम, 1979, बाल (श्रम बचनबद्धता) अधिनियम,*** और ***1933 बाल श्रम (विनियमन और प्रतिशेध) अधिनियम, 1986,*** जो मुख्य रूप से विनियम और कल्याणकारी उपायों के माध्यम से बलपूर्वक मजदूरी, बाल मजदूरी के समाधान से संबंधित हैं।

वर्तमान प्रतिक्रिया अनियमित और विभिन्न कानूनों में बिखरी हुई है, जो तस्करी को विविध और कभी–कभार स्वीकार न करने वाले उद्देष्यों के बारे में हैं। उदाहरण के लिए, जहां आईटीपीए यौन कर्मियों को अपने व्यवसाय से हटाने और निकालने पर केंद्रित है, वहीं बंधुआ मजदूर अधिनियम उस मजदूर को संरक्षण प्रदान करता है, जिसे कार्य करने के स्थान पर बंधुआ बनाकर रखा गया था। एक 'व्यापक कानून' से यह उम्मीद की गई थी कि वह विभिन्न दृश्टिकोणों का मेल करे और मौजूदा कानूनों को एकीकृत करे। तस्करी विधेयक इस उद्देष्य की पूर्ति नहीं करता है। यह मानव तस्करी पर कानूनों के पहले से ही बिखरे हुए रूपों में एक और कानून जोड़ता है, कानूनी ढांचे और इसको लागू करने की प्रक्रिया को और जटिल बना देता है।

इस विधेयक के पीछे कोई षोध या तर्क नहीं है

विगत समय में, तस्करी को रोकने की दिषा में कमियों के षोध और मूल्यांकन द्वारा तस्करी निरोधक कानूनों में सुधार करने का प्रस्ताव किया गया था। 2002–03 में राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ('एनएचआरसी') ने इस समस्या का देषव्यापी अध्ययन किया और 'भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी' पर दो बड़ी रिपोर्टें तैयार कीं। एनएचआरसी की रिपोर्ट के निश्कर्शों ने एमडब्ल्यूसीडी को अनैतिक व्यापार (रोकथाम) (संषोधन) विधेयक, 2006 लाने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार, आपराधिक कानून संषोधन अधिनियम, 2013, जिसके तहत तस्करी किए गए व्यक्तियों की, तस्करी और षोशण के खिलाफ क्रमषः आईपीसी की धारा 370 और 370ए का अधिनियमन हुआ, जो यौन अपराधों पर कानूनों के संबंध में जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट, 2013 की सिफारिषों के आधार पर किया गया था।

तस्करी विधेयक से पहले कोई षोध या विष्लेशण नहीं किया गया है। यह देखते हुए कि एनएचआरसी अध्ययन 15 वर्शों से भी अधिक पुराना है और इस बीच भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में मानव तस्करी के खिलाफ नए उपबंध लाए गए हैं, एमडब्ल्यूसीडी को इस कानून को बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने से पहले एक समीक्षा करनी चाहिए थी। सरकार ने यह स्पश्ट नहीं किया है कि उसने इस 'अतिरिक्त' कानून को क्यों चुना है, जबकि व्यक्तियों की तस्करी पर एक 'व्यापक कानून' की जरूरत थी।

जो प्रस्तावित है, उसमें से बहुत कुछ पहले से ही मौजूद है

तस्करी के खिलाफ पिछले कानून, अर्थात् आईपीसी की धारा 370 और 370ए में व्यक्तियों की तस्करी को पूरी तरह से परिभाशित किया गया है, जो कानून के सिकुड़े हुए उद्देष्य – विशेष तौर पर कानून को लागू करने की समस्याओं का ध्यान रखता है। आईपीसी की धारा 370, षोशण के उद्देष्य से की गई सभी प्रकार की तस्करी को रोकती है है।आईपीसी की धारा 370 की व्याख्या 1, जो यह दर्षाती है कि षोशण का तात्पर्य और इसमे, ''*षारीरिक षोशण, यौन षोशण, दासता और गुलामी जैसी कुप्रथाओं से संबंधित 'कोई भी कार्य'* षामिल हैं। किसी भी उद्देष्य के लिए तस्करी, चाहे वह भीख मंगवाने, घरेलू

कार्य, खेत या कारखाने में काम करवाने के लिए हो, आईपीसी की धारा 370 का हिस्सा हैं, जिसमें न्यूनतम 7 वर्श से लेकर 10 वर्श तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

तस्करी विधेयक, तस्करी को पुनःपरिभाशित नहीं करता है, बल्कि आईपीसी की धारा 370 में निहित मौजूदा परिभाशा को षामिल करता है। हालांकि यह, 'तस्करी के गंभीर रूपों' की एक नई श्रेणी को जोड़ता है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्श से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक में षामिल किए गए *'तस्करी के गंभीर रूपों'* में *बलपूर्वक मजदूरी कराना, भीख मांगना, विवाह और गर्भवती करना* षामिल हैं, जो ऊपर उल्लिखित धारा 370 के तहत पहले ही अपराध माने गए हैं। यह, राश्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ('एनसीआरबी') की रिपोर्टों में उपलब्ध है, जो आईपीसी के तहत मानव तस्करी के मामलों से संबंधित 'उद्देष्यवार असंगठित आंकड़े' प्रदान करते हैं। एनसीआरबी के अनुसार, 2016 में पुलिस ने बलपूर्वक मजदूरी कराने के लिए तस्करी के 10,357 मामले, बलपूर्वक विवाह करने के लिए तस्करी के 349 मामले और भीख मंगवाने के लिए तस्करी करने के 71 मामले पंजीकृत किए।[1] यह दावा कि ये तस्करी के 'नए' रूप हैं और जिनका मौजूदा कानूनों में समाधान नहीं है, पूर्णतः निराधार है।

इसी प्रकार, हार्मोन्स देकर या मदिरा या नषीली वस्तुएं खिलाकर तस्करी करने का तथाकथित 'नया अपराध' पहले से ही आईपीसी की धारा 328 में षामिल है, जो ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है, जोः– *'' किसी भी व्यक्ति को कोई विश या कोई नषीली, मादक या हानिकारक दवा या कोई अन्य वस्तु कोई अपराध करने या कारित करने के उद्देष्य से देता है या लेने के लिए कारित करता है....., उसे दस वर्श तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।''*

बार–बार अपराध करने वाले अपराधी, एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी करने वाले सभी अपराधी मौजूदा कानून के तहत दंडनीय हैं।

वर्तमान कानूनों में रोकथाम, बचाव और पुनर्वास को भी षामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, जेजेऐक्ट, बाल कल्याण समिति जैसे सुरक्षात्मक तंत्र के माध्यम से बाल तस्करी को रोकता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम में बंधुआ मजदूर प्रथा को रोकने के उद्देष्य से सर्वेक्षण और निगरानी करने के लिए प्रत्येक जिले में सतर्कता समितियों का प्रावधान रखा गया है।आईटीपीए के तहत बचाव और पुनर्वास उपाय भी सबको पता हैं।

तस्करी विधेयक में कुछ भी 'नया' या 'अलग' नहीं है, जो लागू होने में विफल होने वाले कानूनी प्रावधानों सहित मौजूदा कानूनी प्रावधानों का मिला–जुला रूप हैं। यह विधेयक किसी को श्रेश्ठ बनने के लिए किया गया कार्य प्रतीत होता है, जो सरकार को यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह अपने पिछली सरकारों से अधिक और बेहतर कार्य कर रहा है, जबकि वास्तविकता में जो वह कर रहा है, यह ''लगभग वैसा ही'' है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल की सिफारिषों को अनदेखा किया गया है

[1]भारत में अपराध, 2016, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

साल 2011 में, *बुद्धदेव कर्मस्कर कर्मास्कर बनाम पष्चिम बंगाल राज्य* वाले मामले में एक अपील (2010 की आपराधिक अपील सं. 135) की सुनवाई करते समय उच्चतम न्यायालय ने–पद्ध तस्करी की रोकथाम, पपद्ध यौन कार्य छोड़ने की इच्छुक यौनकर्मियों के पुनर्वास, पपपद्धयौनकर्मियों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंधों के अनुरूप सम्मान सहित जीने के लिए बेहतर परिस्थितियों से संबंधित कानूनी मुद्दों की जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। अगले कुछ वर्शों के बाद न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने इन तीन विचारणीय मुद्दों पर अंतरिम और अंतिम रिपोर्टों का एक सेट प्रस्तुत किया। पैनल की मुख्य सिफारिषों में से एक सिफारिष, ष्समुदाय आधारित पुनर्वासष् को अपनाना था, अर्थात् ऐसे विकल्प, जो सरकार द्वारा संचालित 'गृहों' में रहने वाली तस्करी की पीड़ित महिलाओं पर अनिष्चित नहीं थे। एक अन्य सिफारिष, आईटीपीए जैसे कानून में संषोधन करने की थी, ताकि उन यौनकर्मियों में भेद किया जा सके, जिन्हें बलपूर्वक यौन कार्य में लगाया गया और जो स्वेच्छा से इस कार्य से जुड़े हैं, जिससे उनके लिए ही उपाय किए जा सकें जिन्हें इसकी जरूरत है। तस्करी विधेयक में इनमें से ऐसे किसी भी विचार पर ध्यान नहीं दिया गया, जो गहन विष्लेशण और विविध हितधारकों के साथ गहन विचार–विमर्ष के उपरांत उभर कर सामने आए थे।

तथापि, उच्चतम न्यायालय के समक्ष मार्च, 2017 के अपने हलफनामें में एमडब्ल्यूसीडी ने पैनल के निश्कर्शों पर सहमति जताई और कहा कि यह :– *''पैनल की सिफारिषों को लागू करने के उपाय कर रहा है।''* हलफनामें में आगे कहा गया है कि यौन कर्मियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने संबंधी पैनल की सिफारिषें *''बहुत महत्वपूर्ण है''* और यह कि *''सरकार, यौनकर्मियों के सामाजिक और कानूनी अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करने के उपाय कर रही है।''*

तस्करी विधेयक की विशय वस्तु के आलोक में, यह कुछ नहीं बल्कि केवल एक दोहरा मापदंड अपनाने जैसा है।

विधेयक के साथ समस्याएं

तस्करी विधेयक में बहुत खामियां हैं, इसके उपबंध या नियम समस्या उत्पन्न करने वाले और बेकार हैं, जिनमें से कुछ के बारे में नीचे उल्लेख किया गया हैः–

- **अपराधों के वर्गीकरण तर्कसंगत नही हैंः** तस्करी विधेयक में कुछ उद्देष्यों को 'तस्करी के गंभीर रूप' के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसमें 10 वर्श या आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। तार्किक रूप से जिन अपराधों को उच्चतर श्रेणी में रखा जाता है, वे आईपीसी की धारा 370 में उल्लिखित तस्करी माने जाने वाले कृत्यों, जिनके लिए 7–10 वर्श तक के कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है, से अधिक गंभीर और दोशपूर्ण होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। भीख मंगवाने के लिए की गई तस्करी को 'गंभीर' माना गया है, जबकि यौन षोशण के लिए की गई तस्करी को सामान्य तस्करी माना गया है, हालांकि एमडब्ल्यूसीडी यह मानता है कि उसकी प्राथमिक चिंता, महिलाओं और बच्चों का यौन उत्पीड़न और षोशण है। इसके अलावा, ' दासता और गुलामी जैसी प्रथाएं' जो घरेलू और अंतर्राश्ट्रीय कानून के तहत जबरदस्ती और बंधुआ प्रथा के सबसे गंभीर रूप हैं, को सामान्य तस्करी कहा गया है।

- **अस्पश्ट, जरूरत से ज्यादा लंबा और अव्यावहारिक उपबंधः** यह विधेयक, अनेक गतिविधियों को अपराध मानता है, जिनमें दोशपूर्णता और आपराधिक इरादा का अभाव है। उदाहरण के लिएः–

  इस विधेयक में उन परिसरों को बंद करने के लिए अधिकृत किया जाने का प्रस्ताव है, जिनका इस्तेमाल *'तस्करी के स्थान'* के लिए किया जाना है। इन 'परिसरों' की परिभाशा व्यापक है, जिसके तहत भूमि, स्थान और वाहन षामिल किए गए हैं, जो कोई घर, कारखाना या सार्वजनिक परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन हो सकते हैं। मजदूर तस्करी के संदर्भ में लागू कानून कारखानों और खेतों को केवल पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति की इस षिकायत के आधार पर बंद करने की अनुमति प्रदान कर देगा कि उक्त परिसर का इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाना है। कोई सार्वजनिक परिवहन की बस जिसमें कोई तस्करी किया गया व्यक्ति यात्रा कर सकता है, को भी कुर्क किया जा सकता है। इस बारे में कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि यह एक बेतुका निश्कर्श है।

  'व्यक्तियों की तस्करी को बढ़ावा देने या सुविधा प्रदान करने वाले' दंड संबंधी प्रावधान समान रूप से अस्पश्ट हैं, और व्यापक जाल डालते हैं। आईटी कंपनियों, यात्रा फिल्मों और रोजगार स्थलों को चिंतित होना चाहिए क्योंकि 'व्यक्ति की तस्करी को बढ़ावा देने वाली'सामग्री दिखाना या विज्ञापन करना उन्हें दंड का पात्र बना सकता है।

  संपत्ति को जब्त करने के प्रावधान भी अत्यधिक बढ़ा–चढ़ाकर तैयार किए गए हैं। संपत्ति को न केवल तब कुर्क किया जा सकता है, जब उनका इस्तेमाल इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए किया जाता है, बल्कि तब भी जब अपराध करने के लिए *'उनका इस्तेमाल किए जाने की संभावना है'*। इस संबंध में कोई मार्गदर्षन नहीं है कि कब और किन परिस्थितियों में ऐसी संभावना पैदा होती है कि संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है।

- **कोई उचित प्रक्रिया नहीं: दंडिक** न्याय सुरक्षा उपायों और उचित प्रक्रिया की गारंटियों पर भी बिना किसी न्यायसंगतता के पानी फिर गया है। इस विधेयक के तहत अपराधों की व्यापकता, 'दोश के अनुमान' जैसे प्रावधान को और अधिक चिंताजनक बना देती है।

- **पुराने पड़ चुके बचाव और पुनर्वास नीतियों पर निर्भरताः** इस विधेयक में पीड़ितों को पुनर्वास के नाम पर 'बचाना और हिरासत में रखना' जैसे पुराने तरीकों को अपनाया गया है। पीड़ितो को उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के लिए 'संरक्षण गृहों' में रखना, मौलिक अधिकारों और पुनः एकीकरण का विरोधी है। संयुक्त राश्ट्र के विषेश संवाददाता ने व्यक्तियों, विषेशकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर स्पश्ट रूप से कहा है कि *''..तस्करी के पीड़ितों को हिरासत में रखना, तस्करी के प्रति अधिकार आधारित दृश्टिकोण के गलत है, क्योंकि यह तस्करी के पीड़ित व्यक्तियों की पहले से हुई क्षति को निष्चित तौर पर कई गुना बढ़ाता है और उनको प्राप्त अधिकारों को नकारता है।''*[2]

[2] Report of the Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Women and Children, [A/HRC/20/18, dated 6th June, 2012]

आईटीपीए के तहत यौन कर्मियों पर थोपे गए 'बचाव, छापा और पुनर्वास' की अप्रभाविता और क्षति के पर्याप्त सुबूत मौजूद हैं।[3] इसके फलस्वरूप, यौन कर्मियों ने सहकर्मी–सहयोग के समुदाय के नेतृत्व वाले वैकल्पिक मॉडल, निगरानी और सेल्फ रेग्यूलेट्री बोर्ड विकसित किए हैं, जो अनिच्छुक व्यक्तियों को यौन कार्य से निकालने में अधिक प्रभावषाली रहे हैं।[4] ऐसे दृश्टिकोण का परीक्षण करने और सहयोग के वैकल्पिक साधन पता करने की बजाय, यह तस्करी विधेयक, तस्करी के सभी पीड़ितों के बचाव और संस्थागत पुनर्वास को जारी रखने का प्रस्ताव करता है।

नौकरषाही समितियों और संस्थाओं की 'भूलभुलैया': क्रियान्वयन को सुचारु बनाने की बजाय, तस्करी विधेयक, जिला, राज्य और राश्ट्रीय स्तर पर तस्करी निरोधक अधिकारी, इकाइयां, समितियां और ब्यूरो सहित 10 विभिन्न एजेंसियों का सृजन कर संस्थागत नौकरषाही के आकार में और अधिक वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप अराजकता और नीतिगत अनिर्णय के साथ–साथ जवाबदेही के प्रष्न को 'एक–दूसरे पर टाला जाएगा'। इसके अलावा, प्रस्तावित किसी भी निकाय में प्रभावित समुदाय का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनकी भागीदारी और दृश्टिकोण तस्करी के सफलतापूर्वक समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा निगरानी समितियों और तस्करी–निरोधक बोर्ड में उनकी प्रभावषाली भूमिका और योगदान को देखते हुए यौन कर्मियों की भागीदारी की पुरजोर सिफारिष की गई थी। इसकी पूरी तरह अनदेखी की गई है।

- **स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभावः** तस्करी विधेयक का यौन कर्मियों सहित कमजोर समुदायों, जो तस्करी–निरोधक कानूनों के दंडात्मक ढांचे के तहत आते हैं, के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन दावों के विपरीत कि विधेयक, यौन कर्मियों को प्रभावित नहीं करता है, इसमें तस्करी और एचआईवी एवं एड्स होने और गर्भधारण करने जैसे विशय षामिल कर, निष्चित तौर पर यौन कार्य को लक्षित करने का इरादा प्रकट किया गया है। तस्करी के अपराधों में *'साथ में रहने के कारण दोश'* के माध्यम से यौनकर्मियों को दोशी ठहराने की प्रवृत्ति ने सहकर्मियों और यौनकर्मियों के लिए जन स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के प्रयास कर रहे सामाजिक और स्वास्थ्य कर्मियों में भय उत्पन्न कर दिया है। इसके अलावा, जब आईटीपीए और अन्य दंडिक कानून अभी भी लागू हैं, तो भारत अपने राश्ट्रीय एड्स नियंत्रण कानून को जोखिम या खतरे में नहीं डाल सकता है, विषेशकर तब जब इसकी सफलता महिला यौनकर्मियों के बड़े पैमाने पर लक्षित प्रयासों पर आधारित है।

[3] RAIDED, How Anti-trafficking strategies increase sex workers' vulnerability to exploitative practices, SANGRAM, India, March 2018.
[4]Jana S, Dey B, Reza-Paul S, Steen R."Combating human trafficking in the sex trade: can sex workers do it better?" J Public Health (Oxf) 2013; published online Oct 31. DOI:10.1093/pubmed/fdt095.

- **'विकास' संबंधी समस्या पर आपराधिक कानून लागू करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं:** तस्करी की समस्या को गरीबी, आजीविका, विस्थापन और सुरक्षा से अलग नहीं रखा जा सकता है। लोग काम के लिए बाहर जाते हैं और जाते रहेंगे, चाहे वह विपत्ति के कारण हो, या बेहतर अवसरों के लिए हो। जेलें लोगों, विषेशकर गरीब एवं सीमांत वर्गों के सपनों और आकांक्षाओं को नहीं बांध सकती हैं। यदि *'विकास'* के मंत्र का इस्तेमाल करना है, तो उसे यहां तस्करी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मोटे तौर एक सामाजिक–आर्थिक घटना के लिए कार्सेरल दृश्टिकोण अपनाना गलत और मूर्खतापूर्ण है।

तस्करी विधेयक किसी भी तर्कसंगत या वैध उद्देष्य की पूर्ति नहीं करता है। यह एक मूल्यहीन कानून है, जिसे आगे ले जाना या संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। और यदि इसे संसद के पटल पर रखा जाता है, तो इसे सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए, जिसने अब तक इस विधेयक को नहीं देखा–परखा है।

.....